न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 21/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री हरीश चंगलानी पुत्र श्री भगवान दास चंगलानी मैसर्स महादेव कोल्ड कार्नर 93 आर.के.पुरम, बी.के. कोलनगर, अजमेर निवासी 166/2, धोबी गली, रामनगर, पुष्कर रोड़, अजमेर।
2. मैसर्स महादेव कोल्ड कार्नर 93 आर.के.पुरम, बी.के. कोलनगर, अजमेर।
3. श्री श्रीकान्त दीक्षित पुत्र श्री रामकिशोर दीक्षित, मैसर्स विक्रान्त ट्रेड कॉम प्राईवेट लि0, गुरामल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फेक्ट्री, बी/10, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर निवासी एलआईजी 263, मदर टैरेसा नगर, लमटी कर्मेटा, जबलपुर, मध्यप्रदेश— 482002
4. मैसर्स विक्रान्त ट्रेड कॉम प्राईवेट लि0, गुरामल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फेक्ट्री, बी/10, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :— अप्रार्थीगण स्वंय।

—: आदेश :—

दिनांक— 22.06.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेन्र्ड आईस्कीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुरत पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.06.2015 को 02.10 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स महादेव कोल्ड कार्नर 93 आर.के.पुरम बी. के. कोलनगर, अजमेर पर पहुँचे श्री हरीश चंगलानी पुत्र श्री भगवान दास चंगलानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे। मौके पर डीफ्रिज में 16 पैकिट आईसक्रीम 667–667 ग्राम के रखे हुये थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 2 पैकिट आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) वास्ते नमूना जॉच हेतु 320/– रूपयें श्री हरीश चंगलानी को नगद देकर गवाह श्री आनन्द कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री हरीश चंगलानी पुत्र श्री भगवान दास चंगलानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) को एक रूप कर चार खाली जार में बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक जार में परिरक्षक फार्मलीन की 36–36 बून्द डालकर शिशियों को ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे/664 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संवंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2015/6010 दिनांक 08.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./360/एक्ट/2015/377 दिंनाक 02.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) सबस्टेण्र्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 02.02.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 02.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री हरीश चंगलानी पुत्र श्री भगवान दास चंगलानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.06.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.06.2016 को अप्रार्थी श्री हरीश चंगलानी व अप्रार्थी संख्या 3 स्वंय उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि परिवादी

न्याय निर्णायक अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (.....) अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा आइसक्रीम का जो नमूना लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा आईस्क्रीम वनीला (फ्रीजो ब्राण्ड) का विक्रय एवं विपणन किया जाता है। आइसक्रीम की क्वालिटी उत्तम किस्म की है। पैकिंग पर इसमें मिलने वाले सभी घटक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कथन किया कि नये नियमों के अनुसार हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट में खाद्य या रंगो का नाम या संख्या का भी उल्लेख होना चाहिये। भविष्य में हमारी पैकिंग में इसका भी उल्लेख आवश्यक रूप से किया जायेगा। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री हरीश चंगलानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री हरीश चंगलानी व श्रीकान्त दीक्षित पर पृथक–पृथक राशि रु. 10000–10000 / – कुल 20000 / – (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.06.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2016 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर

3– श्री हरीश चंगलानी पुत्र श्री भगवान दास चंगलानी मैसर्स महादेव कोल्ड कार्नर 93 आर.के.पुरम बी.के. कोलनगर, अजमेर।

4– श्री श्रीकान्त दीक्षित पुत्र श्री रामकिशोर दीक्षित, मैसर्स विक्रान्त ट्रेड कॉम प्राईवेट लि0, गुरामल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फेक्ट्री, बी / 10, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner